आवश्यक/महत्वपूर्ण/मा0 न्यायालय प्रकरण।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1- तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्याः डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-112-/2014 दिनांकःअगस्त 14 ,2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

विषय- मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल मिस वेल एप्लीकेशन संख्या -10623/2014, जनपद कुशीनगर आशीष कुमार बनाम राज्य व अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 21.7.2014 के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रश्नगत क्रिमिनल मिस वेल एप्लीकेशन के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कुशीनगर के थाना पड़रौना में बैंक से संबंधित फ्राड के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग का संदर्भ देते हुए निम्न टिप्पणी की हैः-

"Now a days the court is coming across many such cases in which innocent costomers/persons who are having their account in various Banks of the State and Country are fallen prey at the hand of fraudulent persons who are misusing their bank accounts.''

इस उर्पयुक्त विषयक सन्दर्भ में पार्श्वंकित परिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। प्रायः यह देखा जा रहा है कि उपरोक्त रूप से वर्णित जनपद कुशीनगर जैसे बैंक फ्राड सम्बन्धी अपराध अन्य स्थानों पर भी घटित हो रहे हैं। जिनके संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है। अतएव इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना आवश्यक है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि :-

अ0शा0पत्रसंख्याडीजी-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांक 04.03.13
अ0शा0पत्रसंख्याडीजी-75/2013 दिनांक31.12.113
पत्रसंख्याःडीजी-सात-एस-4(21)/ दिनांक 01.07.2013
अर्द्व0शा0पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-10.(2)/2014दिनांक21.02.2014

1. बैंक से संबंधित उपरोक्त रूप से वर्णित परिस्थितियों के अंतर्गत कोई प्रकरण संज्ञान में आता हैं तो तत्काल उचित धाराओं में संबंधित थाने में बिना बिलम्ब किये हुए अभियोग पंजीकृत किया जायें।

2. यदि प्रकरण में साइबर अपराध का घटित होना भी दृष्टिगोचर होता है तो विवेचना में जनपद में स्थापित साइबर अपराध इकाई की भी सहायता/सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3. इस प्रकार की घटनाएं संगठित अपराध की श्रेणी में आती है। अतएव बैंक फ्राड की घटनाओं से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना को उच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है।

4. बैंक से सम्बन्धित सभी अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध)/पुलिस उपाधीक्षक(अपराध) नोडल अधिकारी होगें तथा बैंक फ्राड से सम्बन्धित अपराधों का पंजीकरण एवं विवेचना के सन्दर्भ में उत्तरदायी होगें।**(अर्द्धशा0पत्र संख्या : डीजी-सात-एस-10(2)/2014 दिनांक 21.02.1014)**

5. यह पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि घटित अपराधों के सन्दर्भ में आवेदक किसी भी थाने पर आवेदन प्रस्तुत कर FIR(प्रथम सूचना रिपोर्ट) पंजीकृत करा सकता है। यदि अपराध उस थाने की सीमा के बाहर किसी अन्य थाने की सीमा में घटित हुआ हो तो भी शून्य FIR अंकित की जायेगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट को घटना से संबंधित थाने को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। **(पत्रसंख्याःडीजी-सात-एस-4(21)/ दिनांक 01.07.2013)**

6. जघन्य अपराधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से Heinous Crime Monitoring System साफ्टवेयर विकसित किया गया है एवं प्रचलित है। इसके माध्यम से बैंक फ्राड सहित अन्य गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित विवेचना की समीक्षा वरिष्ठतम स्तर पर की जाती है। 10 लाख रूपये से अधिक गबन/धोखाधड़ी से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना Heinous Crime Monitoring System द्वारा पर्यवेक्षित की जा रही है। जिनमें बैंक फ्राड सम्बन्धी अपराध भी सम्मिलित है। अतः इन्हें तत्काल Heinous Crime Monitoring System साफ्टवेयर पर upload कराना भी सुनिश्चित किया जाए। **(अ0शा0पत्रसंख्याडीजी-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांक 04.03.13)**

(ए0एल0 बनर्जी) 14/08/14
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
4.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।